डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 25/2023-24 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, हितधारकों के परामर्श के लिए तैयार प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20010/एमवाईटीपी/टीकेआईएएल-त्रिवेन्द्रम/सीपी-III/2022-27

परामर्श पत्र संख्या 25/2023-24

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
Airports Economic Regulatory Authority of India

तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरुवनंतपुरम (टीआरवी) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2022 - 31.03.2027) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 12 फरवरी, 2024

ऐरा भवन, प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003

हितधारकों की टिप्पणियां

तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (टीआरवी) ऐरा (संशोधन) अधिनियम, 2019 और 2021 के साथ पठित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (ऐरा) अधिनियम, 2008 की धारा 2(i) में उल्लिखित परिभाषा के अनुसार वार्षिक यात्री थ्रूपुट मात्रा के आधार पर प्रमुख हवाईअड्डा है।

तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (टीआरवी) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा प्रचालित किया गया था,जिसने वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख (सीओडी) से 50 वर्ष की अवधि के लिए हवाईअड्डे का प्रचालन, विकास, और प्रबंधन करने के लिए 19 जनवरी, 2021 को वर्तमान हवाईअड्डा प्रचालक (तिरुवनंतपुरम (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीकेआईएएल) के साथ रियायत करार किया था और सीओडी 14 अक्तूबर, 2021 थी। 01 अप्रैल, 2021 से 13 अक्तूबर, 2021 तक की अवधि पूर्व-सीओडी अवधि मान ली गई और सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि सीओडी के बाद की अवधि मान ली गई है। इस टैरिफ निर्धारण कार्य में चूंकि दो (02) हवाईअड्डा प्रचालक अर्थात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सीओडी-पूर्व) और टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीओडी के बाद), सम्मिलित हैं इसलिए इस परामर्श पत्र में स्पष्टता के लिए ऐरा ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए एएआई का और टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लिए टीकेआईएएल का प्रयोग किया है।

टीकेआईएएल ने 15 अप्रैल, 2022 को प्राधिकरण से हवाईअड्डे के लिए नियंत्रण अवधि के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। प्राधिकरण ने दिनांक 20 जून, 2022 की अपनी सार्वजनिक सूचना संख्या 05/2022-23 के माध्यम से निम्नलिखित निर्णय लिए :

- त्रिवेन्द्रम हवाईअड्डे के लिए नियंत्रण अवधि 01.04.2021-31.03.2026 के स्थान पर 01.04.2022-31.03.2027 तक करना। नियंत्रण अवधि की कालावधि केवल पाँच वर्ष होगी।
- ऐरा नीति के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय 01.04.2021 से 31.03.2022 तक के लिए टूअप को मानना।

हवाईअड्डे के लिए वैमानिक टैरिफों के निर्धारण के लिए निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

- दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 को द्वितीय नियंत्रण अवधि और 01 अप्रैल, 2021 से 13 अक्तूबर, 2022 तक की अवधि के लिए एएआई ने टू-अप प्रस्ताव पेश किया।
- दिनांक 21 फरवरी, 2023 को टीकेआईएएल ने 14 अक्तूबर, 2021 (वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख (सीओडी) से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए टू-अप प्रस्ताव पेश किया।
- दिनांक 21 फरवरी, 2022 को टीकेआईएएल ने वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27 तक की तृतीय नियंत्रण अवधि (टीसीपी) के लिए बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) भी पेश किया।

इस परामर्श पत्र के लिए प्राधिकरण ने एएआई द्वारा सीओडी पूर्व की अवधि (01 अप्रैल, 2021 से 13 अक्तूबर, 2021) के लिए टीआरवी के लिए प्रस्तुत लेखा-परीक्षित आंकड़ों और टीकेआईएएल द्वारा 14 अक्तूबर, 2021 (सीओडी) से 31 मार्च, 2022 और 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक के प्रस्तुत लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण को मान लिया है।

प्राधिकरण ने यह परामर्श पत्र i) भारत सरकार के वाणिज्यिक उड़ानों को पुन: शुरू करने और यात्री/एटीएम यातायात को बढ़ाने के निर्णय और ii) टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में दोनों हवाईअड्डा प्रचालकों को सम्मिलित करने की पृष्ठभूमि में अपने प्रस्ताव पेश करने के लिए जारी किया है।

प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर सभी हितधारकों के लिखित साक्ष्य आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों पर विचार करेगा तथा वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करेगा। प्राधिकरण इस बात पर बल देना चाहेगा कि परामर्श प्रक्रिया की समय-सीमा निश्चित है और इस कारण से हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी टिप्पणियां/इनपुट इस परामर्शपत्र में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कर दें, इसके बाद प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट पर प्राधिकरण द्वारा विचार नही किया जाएगा।

अत: ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 12 फरवरी, 2024 के परामर्श पत्र संख्या 25/2023-24 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
ऐरा प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ई-मेल director-ps@aera.gov.in, rajan.gupta1@aera.gov.in, inderpal.s@aera.gov.in, प्रतिलिपि : secretary@aera.gov.in,

हितधारकों की परामर्श बैठक (वर्चुअल)	:	27 फरवरी, 2024
टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	13 मार्च, 2024
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	23 मार्च, 2024

हितधारकों की टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं।

15 *हितधारकों से परामर्श के लिए तैयार प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार*

अध्याय 4 : द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए एएआई का ट्रूअप

4.16.1 पैरा 4.4.8 (तालिका 10) में दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए यात्री यातायात और एटीएम को मानना।

4.16.2 तालिका 23 में दिए गए विवरण के अनुसार वैमानिक पूंजीगत परिवर्धनों और परिसंपत्तियों के वैमानिक आबंटन को मानना।

4.16.3 द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए एएआई के ट्रू-अप के लिए पैरा 4.6.6 (तालिका 28) में दिए गए विवरण के अनुसार परिसंपत्तियों के संशोधित आबंटन को ध्यान में रखकर मूल्यह्रास का पुन: परिकलन करना।

4.16.4 द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के ट्रू-अप के लिए पैरा 4.7.1 (तालिका 29) में दिए गए विवरण के अनुसार एएआई के लिए आरएबी को मानना।

4.16.5 पैरा 4.7.5 (तालिका 30) में दिए गए विवरण के अनुसार टीआरवी के लिए माने गए प्रांरभिक आरएबी को मानना।

4.16.6 द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के ट्रू-अप के लिए पैरा 4.8.10 में दिए गए विवरण के अनुसार एफआरओआर को मानना।

4.16.7 द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के ट्रू-अप के लिए भूमि की लागत पर प्रतिलाभ को न मानना।

4.16.8 टीआरवी के लिए कार्यक्षम प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च संबंधी अध्ययन (अध्ययन का सार संलग्नक-2 में दिया गया है और अध्ययन परिशिष्ट -2 के रूप में संलग्न है) द्वारा दिए गए सुझाव और द्वितीय नियंत्रण अवधि तथा वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के ट्रू-अप के लिए पैरा 4.9.20 (तालिका 44) में दिए गए विवरण के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च और उनके आबंटन को मानना।

4.16.9 द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के ट्रू-अप के लिए पैरा 4.11.10 (तालिका 50) में दिए गए विवरण के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

4.16.10 द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के ट्रू-अप के लिए पैरा 4.12.7 (तालिका 54) में दिए गए विवरण के अनुसार वैमानिक राजस्व को मानना।

4.16.11 द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के ट्रू-अप के लिए पैरा 4.13.5 (तालिका 57) में दिए गए विवरण के अनुसार वैमानिक कर को मानना।

4.16.12 तालिका 58 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए एएआई के ट्रू-अप के लिए 789.29 करोड़ रूपए की कम वसूली (31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार) वाले वर्तमान मूल्य को मानना और इसे तृतीय नियंत्रण अवधि के एआरआर में पुन: समायोजित करना।

अध्याय 5: वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख (सीओडी) से 31 मार्च, 2022 तक द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टीकेआईएएल का ट्रू-अप

5.12.1 तालिका 65 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक के लिए आरएबी और मूल्यह्रास को मानना।

5.12.2 तालिका 66 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए एफआरओआर को मानना।

5.12.3 तालिका 72 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

5.12.4 तालिका 76 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

5.12.5 तालिका 78 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए वैमानिक राजस्व को मानना

5.12.9 टीकेआईएएल के ट्रू-अप के लिए तालिका 80 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अविध के लिए 54.60 करोड़ रूपए की कम वसूली को मानना और इसे तृतीय नियंत्रण अवधि के एआरआर में पुन: समायोजित करना।

अध्याय 6: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

6.3.1 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टीआरवी के लिए तालिका 90 के अनुसार एटीएम, यात्री यातायात और कार्गो यातायात को माननाा

6.3.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (यात्री, एटीएम और कार्गो) को टूअप करना।

अध्याय 7: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)

7.7.1 परिसंपत्तियों के आंबटन संबंधी अध्ययन, आईएमजी मानदंड के अनुरूप और अन्य समान हवाईअड्डों के लिए अनुमोदन किए अनुसार 90% : 10% के टर्मिनल क्षेत्र अनुपात को मानना।

7.7.2 पैरा 7.3.147 में उल्लेख किए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान आईडीसी की अनुमति देना लेकिन वित्तीय भत्ते की अनुमति न देना।

7.7.3 तालिका 139 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक व्यय के पूंजीकरण को अंगीकार करना।

7.7.4 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों, लागत कार्यक्षमता और औचित्य के आधार पर वैमानिक पूंजीगत व्यय को टू-अप करना।

7.7.5 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पैरा 7.3.144 में उल्लेख किए अनुसार पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से अपूंजीकृत परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के दौरान इसकी जांच की जाएगी।

7.7.6 पैरा 7.3.150 और 7.3.149 में दिए गए विवरण के अनुसार वास्तव में वहन किए गए खर्च के आधार पर क्रमश: आरएबी/ सीडब्लयूआईपी और स्टांप ड्यूटी पर जीएसटी को मानना।

7.7.7 केन्दीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अध्याय V के अनुसार निवेश कर जमा के लेखांकन की जांच करना और चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आवश्यक समायोजन करना (पैरा 7.3.150 में स्पष्ट किए अनुसार)।

7.7.8 तालिका 144 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को अंगीकार करना।

7.7.9 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को टू-अप करना।

7.7.10 टीआरवी के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 147 के अनुसार औसत आरएबी को मानना।

7.7.11 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को टू-अप करना।

अध्याय 8 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर)

8.3.1 15.18 % पर ईक्विटी की लागत को मानना।

8.3.2 सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले अन्य हवाईअड्डों के मामले में विचार किए जा रहे लक्ष्य प्राप्ति अनुपात के अनुरूप 48:52 के ईक्विटी (प्राप्ति) अनुपात के काल्पनिक ऋण को मानना।

8.3.3 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 9% की ऋण की लागत को मानना।

8.3.4 ऊपर उल्लिखित ईक्विटी की लागत, ऋण की लागत और प्राप्ति अनुपात के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 12.21% के एफआरओआर को मानना।

अध्याय 9 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

9.3.1 तालिका 153 में प्रस्तावित मुद्रा-स्फीति दर को मानना।

अध्याय 10: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

10.3.1 तालिका 187 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

10.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य और दक्षता की शर्त पर तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान टीकेआईएएल द्वारा वहन किए गए कुल प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

अध्याय 11: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व

11.3.1 टीआरवी के लिए तालिका 194 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

11.3.2 यदि गैर वैमानिक राजस्व प्राधिकरण द्वारा तालिका 194 में प्रस्तावित राजस्व से कम हो तो अगली नियंत्रण अवधि के गैर-वैमानिक राजस्व के निर्धारण के समय इसे टू-अप नहीं किया जाएगा।

अध्याय 12 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

12.3.1 टीआरवी के लिए तालिका 196 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान को मानना।

12.3.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय सभी संगत तथ्यों को उपयुक्त ढंग से ध्यान में रखकर वैमानिक कर राशि को टू-अप करना।

अध्याय 13: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

13.3.1 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए टीआरवी की सेवा की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी समायोजन को नहीं मानना।

13.3.2 टीकेआईएएल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टीआरवी पर सेवा की गुणवत्ता पूरी तृतीय नियंत्रण अवधि के रियायत करार में इंगित निष्पादन मानकों के अनुरूप है।

अध्याय 14 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

14.3.1 टीआरवी के लिए तालिका 199 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और वाईपीपी को मानना।

14.3.2 टीकेआईएएल को यह निदेश देना कि वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (टैरिफ दर कार्ड) यह परामर्श पत्र जारी होने के 7 दिन के भीतर प्रस्तुत कर दें, इसे हितधारकों के परामर्श के लिए पेश किया जाएगा।

16 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

16.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 15–प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

16.1.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

16.1.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 13 मार्च, 2024 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
ऐरा भवन, प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.
फोन : 011 24695044-47 ; फैक्स 011-24695048

(अध्यक्ष)